रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 1999/आषाढ़ 24, 1921
No. 363] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 1999/ASADHA 24, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1999

सं. 44/99-सीमाशुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 521(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (6) और धा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण औ संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण त क्षति का अवधारण) संशोधन नियम 1999 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 19९ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के खण्ड (ख) में,—

(क) "घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा" शब्दों के स्थान पर "घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जा सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) उत्पादक को निर्यातकर्ता या आयातकर्ता से संबंधित केवल तभी समझ जाएगा, यदि,—

(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता है ; या

(ख) उनमें से दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं ; या

(ग) वे सब मिलकर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, इस शर्त के अधीन रहते कि यह विश्वास करने या शंका करने के लिए आधार हैं कि संबंधों का प्रभाव ऐसा है कि उत्पादकों को ; गैर संबं

उत्पादकों से भिन्न प्रकार से बर्ताव करना होगा।";

(ii) कोई उत्पादक, अन्य उत्पादक को नियंत्रण करने वाला तब समझा जाएगा जब पूर्ववर्ती विधिक रूप से या प्रचालनात्मक रूप से इस स्थिति में हो कि पश्चात्वर्ती का अवरोध कर सके या उसे निदेश दे सके।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) पाटन के अन्तर के बराबर या उससे न्यून पाटनरोधी शुल्क की रकम की, जो, यदि उद्गृहीत की जाती है तो देशी उद्योग की क्षति को दूर करेगी और ऐसे शुल्क के प्रारम्भ की तारीख की सिफारिश करना ; और"।

4. उक्त नियमों के नियम 15 में, उपनियम (6) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी वचनबंध के किसी अतिक्रमण की दशा में, अभिहित प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार को वचनबंध के अतिक्रमण की सूचना देगा और ऐसे अतिक्रमण की तारीख से इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनन्तिम शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करेगा"।

5. उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (1) में, —

(क) खण्ड (क) के पहले परन्तुक में "असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में" शब्दों के स्थान पर "विशेष परिस्थितियों में, स्वविवेक से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) शुल्क की ऐसी रकम की सिफारिश, जो, यदि उद्गृहीत की जाती है तो, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को, जहां लागू हो, दूर करेगी।"

6. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (1) में परन्तुक का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 20 में दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि पूर्वगामी परन्तुकों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वचनबंध के अतिक्रमण की दशा में अनन्तिम शुल्क वचनबंध के अतिक्रमण की तारीख या ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे, अधिरोपित की गई समझी जाएगी।"

8. उक्त नियमों के उपाबंध 1 में, पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बाजारेतर अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात की दशा में, प्रसामान्य मूल्य का अवधारण, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निकाले गए मूल्य के या ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों को, जिसमें भारत भी है, कीमत के आधार पर या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य युक्तियुक्त आधार पर, जिसमें वैसे ही उत्पाद के लिए भारत में, उचित लाभ के अन्तर को शामिल करने के लिए सम्यक्रूप से समायोजित, यदि आवश्यक हो, वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत भी सम्मिलित है, किया जाएगा। कोई समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश का चयन किसी उचित रीति से अभिहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध किसी जानकारी का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। जहां समुचित हो किसी अन्वेषण का यदि किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की बाबत समान विषय में किया गया हो, समय सीमा के भीतर लेखा-जोखा भी लिया जाएगा। अन्वेषण के पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन की बाबत बिना अनुचित विलम्ब के सूचित किया जाएगा और उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उचित समयावधि दी जाएगी।"

9. उक्त नियमों के उपाबंध 2 में, पैरा 1 में, "आवश्यक" शब्द के स्थान पर "संभाव्य" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 525/2/94-सी.शु. (टीयू) पीटी.]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी :— मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 1-1-95 को अधिसूचना सं. 2/95 द्वारा प्रकाशित किए गए थे [सा. का. नि. 1(अ) दिनांक 1-1-95]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 1999

No. 44/99-Cus. (NT)

G.S.R. 521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely:-

1 (i) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in clause (b), -

(a) for the words,"such producers shall be deemed", the words, "such producers may be deemed" shall be substituted.;

(b) after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation. - For the purposes of this clause, -

(i) producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if, -

(a) one of them directly or indirectly controls the other; or

(b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or

(c) together they directly or indirectly control a third person, subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.".

(ii) a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.".

3. In rule 4 of the said rules, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry, and the date of commencement of such duty and".

4. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of any violation of an undertaking, the designated authorty shall, as soon as may be possible, inform the Central Government of the violation of the undertaking and recommend imposition of provisional duty from the date of such violation in accordance with the provisions of these rules".

5. In rule 17 of the said rules, in sub-rule (1), -

(a) in clause (a), in the first proviso, for the words "in circumstances of exceptional nature", the words "in its discretion in special circumstances" shall be substituted.;

(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) recommending the amount of duty which, if levied, would remove the injury where applicable, to the domestic industry.".

6. In rule 18 of the said rules, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

7. In rule 20 of the said rules, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that notwithstanding anything contained in the foregoing proviso, in case of violation of such undertaking, the provisional duty shall be deemed to have been levied from the date of violation of the undertaking or such date as the Central Government may specify in each case".

8. In Annexure I to the said rules, after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable

delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

9. In Annexure II to the said rules, in paragraph (iv), for the word "essential", the word "potential" shall be substituted.

[F. No. 525/2/94-CUS (TU) Pt.]
RAJENDRA SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No.2/95 dated 1.1.95 [G.S.R. 1 (E) dated 1.1.95].

2124 95/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054